अनुसूची 21—नियम सं० 113

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

1054 589 1020 5822

निर्धारण-वर्ष संख्या _____ 19____ मूल्यांकन सं० _____ 19____

मुझे श्री Aditya Niwas Developers Director - Chandrashekhar Kumar s/o late B.N. Singh

ने मेरे समक्ष आवेदन किया है कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निर्धारित संख्याओं और अक्षरों का संविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये कथन के अनुसार विवरण है।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति का प्रमाणित करने वाली संख्याओं और अक्षरों के बारे में यही मैं और उससे सम्बद्ध अनुसूचियों में दर्ज 2006 to till dt _____ से कि 19____

उक्त उलझनों की मदों और ऐसी उलझनों के बाद निम्न संख्याओं और अक्षरों का मूल्य था As per index II

चलते है अतः संपत्ति अवभार के मुक्त है

क्रम सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निर्धारण की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के पृ० निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	mauza- Dhoraut Thana- Darapar Thana No- 20 Khata No- 84 Sou. Plot No- 18, 23, 22A & 22B Sr. Plot No- 246 Town No- 5139 Plot Area- 8386 Sqft Distt- Patna.							

For Aditya Niwas Developers & Colonizers

Niraj Kumar

Partner

Scanned by CamScanner

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।
2. प्रमाण-पत्र को दिये ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। यदि यह उसमें है।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ इस संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया;

(हस्ताक्षर):

(पदनाम): UDC

दस्तावेज का सत्यापन और प्रमाण को बांद निम्न व्यक्ति ने कि:

(हस्ताक्षर): Shekhar

(पदनाम): U.D.C

कार्यालय: Danapur

दिनांक: 5/8/19

5/8/19

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी:–इस प्रमाण–पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार रखे गये है। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों में प्रभावित संव्यवहार (इन्कंबरेन्सेस) ईस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-45 के अधीन जो व्यक्ति (व्यक्तियों) और अनुक्रमणिकायें (इन्डेक्स) को प्रतियाँ देकर यदि वे अपना कार्य अधिकार क्षेत्र के बाहर से किसी निर्दिष्ट दस्तावेज के संव्यवहारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत से उन्हें तलासी स्वयं करनी होगी। निर्धारित समय का भुगतान करने पर प्रतियाँ और अनुक्रमणिकायें उनके पास सामने रखदी जायेगी।

(क) किंतु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद हुई गये संव्यवहारों और अवभारों को प्रस्तुतन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए, विपक्ष आवेदक द्वारा छूटे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिसमें उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक Danapur

जमा संख्या 2697 दिनांक 6/8/19

आवेदक श्री Chandra shekhar kr. s/o late B.N. Singh

का प्रस्तुत प्रमाण-पत्र द्वारा LIC Housing Finance Ltd.

का तलके का संख्या ——— दिनांक 30/7/19 के प्रसंग में आपसूचित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी,

5/8/19

BFL-46699-2.00/100

Scanned by CamScanner